मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- ईएसआई अस्पतालः स्टाफ़ की आधी अधूरी भर्ती 3
- ऐसे बनायेंगे शहर को स्मार्ट
- किस्सा चार निर्वासित दरवेशों का 4
- ठग रेलमंत्री और बुलेट प्रधानमंत्री
- कैप्टन अजय बनाम हुड्डा झगड़ा सारा लूट का 5
- मोदीगण किन्हें पाकिस्तान भेज रहे थे!
- महिला थाने का कमाल, नाबालिग को बालिग बना भेजा जेल 8

वर्ष 29 अंक 3 फरीदाबाद, बुधवार, 16-31 दिसम्बर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

याद दिलाने का शुक्रिया बॉम्बे हाईकोर्ट

जिसकी लाठी उसकी भैंस, जस्टिस जोशी ने दी रिहाईः तोहमत मोदी पर आई

कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने सारे देश को आश्वस्त किया था कि जब तक स्वतंत्र न्यायपालिका के हाथों 'कानून का शासन' चल रहा है, किसी को असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं। सलमान खान को शराब के नशे में गाड़ी से कुचल कर सदोष मानव वध (धारा 304-भारतीय दण्ड संहिता) मामले में बरी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ए आर जोशी ने 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली न्यायिक परम्परा को चरितार्थ कर दिया।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

यह कानून का शासन नहीं, कानूनविदों का शासन है। ऐसे महंगे वकील खरीदने की क्षमता होनी चाहिये जो न्याय और नयायाधीश दोनों को खरीद सकें। 13 साल पुराने सलमान खान मामले में यही हुआ है। मई 2015 में ही सैशन जज डी डब्लू देशपांडे ने सलमान खान को 5 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई थी। दरअसल उसी दिन यह भी स्पष्ट हो गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट सलमान को येन-केन-प्रकारेन बरी करेगी ही।

जैसे कि सलमान के पिता 'शोले' फ़िल्म के मशहूर पटकथाकार सलीम ने स्वयं अपनी लेखनी से रोमांचक पटकथा लिखी हो। सैशन जज ने उस दिन लंच से पहले सलमान को दोषी पाने का फ़ैसला सुनाया और लंच के तुरन्त बाद सज़ा पर बहस मुकर्रर कर दी। यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था जिसके अनुसार सज़ा पर बहस उसी तारीख में नहीं की जा सकती जिसमें अभियुक्त दोषी पाया गया हो। जाहिर है सैशन जज पर हाई कार्ट का दबाव रहा होगा। अन्यथा, 3 वर्ष से अधिक सज़ा पाने के कारण सलमान को कमसे कम एक दिन न्यायिक हिरासत यानी जेल में गुजारना पड़ता।

उधर हाई कोर्ट का जज सलमान के वकीलों की प्रतीक्षा में अदालत खोले बैठा हुआ था। जैसे ही सैशन जज ने सज़ा सुनाई ये बड़े-बड़े वकील हाई कोर्ट पहुंच गये और इस आधार पर अन्तरिम जमानत ले आये कि अभी फ़ैसले की नकल उन्हें नहीं मिली है। प्रश्न यह है कि इन्हीं वकीलों ने सैशन जज के सामने जब सज़ा पर बहस की तब भी उन्हें पता था कि फ़ैसले की नकल उसी दिन मिलने वाली नहीं है। उन्हें तो मानो जल्द से जल्द सज़ा पाकर हाई कोर्ट में उसी दिन पहुंचना था।

अब हलांकि उपरोक्त मिलीभगत से ली गयी जमानत भी एक बहुत मासूम सी

कानून अंधा नहीं काणा होता है एक ही तरफ देख पाता है

कवायद नज़र आती है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जोशी ने पूरे न्यायशास्त्र को सिर के बल खड़ा कर दिया है। इसी 19 दिसम्बर को रिटायर होने वाले इस जज का नाम जैसी काली स्याही से लिखे जाने योग्य है वह शायद ही बनाई जा सके। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथी पतंगबाज सलमान खान की बेशर्म रिहाई के एवज में जोशी को किस सुनहरे सरकारी फ्रेम में टांगने की तैयारी है? न्याय की खरीद-फ़रोख्त के षड़यन्त्र में शामिल प्रमुख चरित्र अभिनेता को इस जज ने अपने निर्णय में सह-नायक के दर्जे पर बैठा दिया। ध्यान रहे कि 13 वर्ष से चल रहे इस केस में किसी भी समय अशोक सिंह नामक ड्राइवर का ज़िक्र कहीं नहीं आया था। न तो किसी गवाह या पीड़ित के बयान में और न ही स्वयं सलमान के बयानों में। मैजिस्ट्रेट और सैशन कोर्ट के सामने इतने वर्षों तक चली कार्यवाही के दौरान भी अशोक सिंह का ज़िक्र कभी नहीं आया। अचानक, अभियुक्त की ओर से सैशन कोर्ट में अपने आखिरी बयान में सलमान की ओर से दावा किया गया कि वारदात के दिन हत्यारी कार को वे नहीं बल्कि अशोक सिंह चला रहा था। अशोक सिंह की ओर से भी इसी आशय का शपथपत्र अदालत को दिया गया। स्वाभाविक था कि इस सफ़ेद झूठ को सैशन कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और सलमान को ही दोषी ठहराया। इसी तर्ज पर एक अन्य विचाराधीन मुकदमें से भी सलमान को निजात दिलाई जायेगी? चिंकारा मामले में भी किसी अशोक सिंह से अन्तिम समय पर शपथपत्र दिला दिया जायेगा।

शुरू से ही यह एक हाई प्रोफ़ाइल केस रहा था। हर चरण पर इसे मीडिया में जम कर उछाला गया। ऐसे में यह असंभव है कि अशोक सिंह नामक व्यक्ति घटना के समय मौजूद हो और उसका जिक्र कभी भी न आये। यदि अशोक सिंह कार चला रहा था तो 13 वर्ष तक सलमान खान को ज़िल्लत झेलने की क्या जरूरत थी? जाहिर है उसे अब एक सोची-समझी मिलीभगत के कार्यान्वयन के लिये सामने लाया गया ताकि सलमान को बरी करने वाले जज को कुछ सहूलियत हो सके। सैशन जज देश पांडे ने इस मिलीभगत का हिस्सा होने से परहेज दिखाया जबकि हाई कोर्ट के जज जोशी ने इसे अन्जाम तक पहुंचाया।

जज जोशी ने न सिर्फ़ अपनी आत्मा बेच खाई है, न सिर्फ़ देश की तमाम न्याय व्यवस्था को शर्मसार किया है, बल्कि उसने एक ऐसा न्यायिक उदाहरण पेश किया है जिसके चलते हर अपराधी का बरी होना निश्चित है। हत्या या बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के अपराधी को भी बस इतना ही करना है कि मुकदमे के ऐन अंत में किसी अशोक सिंह से शपथपत्र दिला दे कि अपराध उसने किया है न कि अभियुक्त ने। बस अदालत अभियुक्त को बरी कर देगी और उस अशोक सिंह को न्याय पथ का हीरो बना देगी।

बस पेंच एक ही है। जोशी जैसा जज चाहिये जो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना सके।

ख़बर दार

एक मुकदमा संसद में

आजकल भारती संसद के रंग-ढंग देखने से लगता है जैसे देश में कोई बड़ा तूफ़ान आ गया हो। वैसे तो चेनैई में बारिश का तूफ़ान हफ़्तों तक कहर बरसाता रहा पर भारतीय संसद में वह ध्वंस नहीं गूंज रहा। वहां तो दिल्ली की एक अदालत द्वारा सोनिया और राहुल को समन भेजने से बरपा हुए तूफ़ान का नज़ारा देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड अखबार की हज़ारों करोड़ की सम्पत्ति को ट्रस्ट बना कर हड़पने के आपराधिक मामले में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक विद्वेश का आरोप लगा कर संसद की कार्यवाही ठप की हुई है। सोनिया गांधी को तो अचानक यह दोहराना भी जरूरी लगा कि वे इन्दिरा गांधी की बहू हैं और किसी से नहीं डरतीं। प्रस्तुत है इन आयामों पर राहुल गांधी से लिया गया एक काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो.-राहुल जी संसद को ठप करके क्या आपकी पार्टी महत्वपूर्ण कार्यों के रास्ते में रोड़ा नहीं अटका रही? आप इसे कैसे उचित ठहर सकते हैं?

राहुल-अरे साहब, खुली रह कर भी संसद भला कौन से काम कर पाती थी। बन्द होने से यह तो कहा जा सकता है कि क्या करें, मजबूरी हैं। जब संसद खुली रहती है तब भी हम सिवाय शोर-शराबा करने के और क्या करते हैं?

म.मो.-लेकिन अदालती समन पर संसद को ठप करना कहा तक उचित है? अगर यह भाजपा की चाल हो तो भी जवाब तो आपको कोर्ट में ही देना होगा?

राहुल-कोर्ट में जवाब देने को तो हमारे वकील हैं ही। संसद में तो हम यह दिखाना चाहते हैं कि...

म.मो.-लेकिन भाजपा तो पहले ही कह चुकी है कि इस मामले का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। सुब्रह्मनियन स्वामी के प्राइवेट इस्तगासे पर आप दोनों मां-बेटों को अदालती समन जारी हुए हैं।

राहुल-भाजपाई यह भी कहती है कि अमित शाह के विरुद्ध मुकदमा न चलने में भी उसका हाथ नहीं है। यहां तक कि गुजरात नरसंहार के प्रमुख कर्ता-धर्ता रहे माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के जमानत पर छूटने से भी उनका कुछ लेना-देना नहीं। सवाल है कि हमारे मामले में अदालत क्या कहती है। अदालत ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं। केवल हमें समन भेजे हैं।

म.मो.-यही तो लोग समझ नहीं पा रहे कि मात्र समन भेजने पर इतना हंगामा क्यों?

राहुल-आप समझे नहीं, यह हंगामा समन भेजने पर नहीं भाजपा के राजनीतिक षड़यंत्र के विरोध-स्वरूप है।

म.मो.-राजनीतिक षड़यन्त्र कैसा?

राहुल-मुझे और मेरी मंमी को समन भेजने का षड़यन्त्र।

म.मो.-यानी आपको समन से दिक्कत नहीं है?

राहुल- नहीं बिल्कुल नहीं। हमें दिक्कत भाजपा के षड़यन्त्र से है जिसके चलते समन भेजे गये है।

म.मो.-यह कुछ-कुछ एक पहेली सा होता जा रहा है और देशवासी यह नहीं समझ पा रहे कि अदालत द्वारा समन भेजने पर संसद को क्यों ठप किया जा रहा है?

राहुल-मैंने पहले भी कहा कि अदालत के समन भेजने पर संसद ठप नहीं की जा रही।

म.मो.-लेकिन संसद तो ठप है।

राहुल-यह उस षड़यंत्र के खिलाफ़ ठप की गयी है जो समन भेजने के पीछे है।

म.मो.-यानी आप समन भेजना ठीक समझते हैं?

राहुल-हां।

म.मो.-आप समन भेजने पर संसद को ठप करना भी ठीक समझते हैं?

राहुल-हां।

म.मो.-आप दोनों को ही ठीक समझते हैं?

राहुल-हां।

म.मो.- क्या यह ठीक नहीं होता कि संसद में चेनैई की बाढ पर चर्चा हो रही होती?

राहुल-भाजपा के षड़यन्त्र के चलते ही यह चर्चा नहीं हो पा रही।

म.मो.-क्या आप इसे ठीक समझते हैं?

राहुल-मैं इसे भाजपा का षड़यंत्र समझता हूं।

स्मार्ट सिटी: लंबा हाथ मारने के पत्ते खोले नगर निगम ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) कर्जे लेकर व जायदादें बेच कर अपने कर्मचारियों को वेतन देने वाले नगर निगम ने स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ हद तक अपने पत्ते खोल दिये। इसके अफ़सरों द्वारा मीडिया को दिये जा रहे बयानों के मुताबिक 1486 करोड़ रुपये खर्च करके केवल 5-6 सेक्टरों को ही स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। इनमें से 2-3 सेक्टर स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तथा 2-3 सेक्टर स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा के निवास के आस-पास के हैं। यहां अनुमानित 80 हज़ार की आबादी है। इस भारी-भरकम रकम से सड़कें, सीवर, सफ़ाई व्यवस्था, बिजली पानी आदि की व्यवस्था को सुधारने के अलावा बड़खल झील को लबालब करना भी शामिल है। हां सड़कों से आवारा कुत्ते व गायों को हटाने तथा बन्दरों से छुटकारा दिलाना इसमें शामिल नहीं है। इस परियोजना में अवैध कब्ज़े अतिक्रमण व निर्माणों से मुक्ति का भी कोई जिक्र नहीं है।

1486 करोड़ की उक्त राशि में से एक हज़ार करोड़ केन्द्र से तथा शेष राज्य सरकार से झटकने का प्रयास है। यहां देखने व समझने वाली बात यह है कि 20 लाख की आबादी वाले इस शहर की मात्र 80 हजार आबादी को स्मार्ट सिटी देने पर जब इतनी बड़ी रकम खर्च होगी तो पूरे शहर पर कम से कम उक्त रकम का 20 गुणा तो जरूर खर्च होगा। इसका मतलब पूरे शहर के लिये 29720 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। लगता है इस बार नगर निगम लम्बा हाथ मारने की फ़िराक में है। अभी तक तो कभी यमुना एक्शन प्लान के 500 करोड़, जवाहर लाल नेहरू मिशन के 1500 करोड़ गुड़गांव नगर निगम से 100-100 करोड़ के कर्ज़े तथा सैंकड़ों करोड़ की अपनी जायदादें बेच-बेच कर निगम अपना गुजर बसर कर रहा था; लेकिन इस बार, यदि षड़यन्त्र सफ़ल हो गया तो वारे न्यारे हो जायेंगे।

विदित है कि उक्त परियोजना में दिखाया गया क्षेत्र शहर का सबसे अधिक विकसित एवं पॉश क्षेत्र है। यह सारा क्षेत्र हूडा द्वारा बसाये गये अति आधुनिक सेक्टरों का है। हूडा का दावा है कि उसने इन सभी सेक्टरों में सड़क, सीवर, बिजली-पानी आदि की सभी सुविधायें विकसित करके लोगों को बसाया है। इसके बावजूद नगर निगम यहां 1486 करोड़ रुपया और खर्च करने की तैयारी में है। नेहरू मिशन, यमुना प्लान की रकमों के अलावा नगर निगम ने भी पिछले बीसियों बरस में यहां काफ़ी खर्च दिखा रखा है।

नगर निगम द्वारा लम्बा हाथ मारने की इस साजिश को स्वीकृति हेतु राज्य व केन्द्र सरकार को भेजा गया है। यदि इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने वालों की भी इस लूट में हिस्सा पत्ती न हुई तो वे जरूर पूछेंगे कि पिछले खर्चों का क्या है हिसाब-किताब? **स्मार्ट-सिटी के संदर्भ में 'मज़दूर मोर्चा' लगातार प्रकाशित करता रहा है कि रिश्वतखोरी व हरामखोरी बन्द हो जाय और नियम कानून सही ढंग से लागू होने लग जायें तो न केवल यह शहर पूरा देश ही स्मार्ट हो जायेगा। इसके लिये किसी अतिरिक्त ड्रामेबाज़ी की जरूरत नहीं है।**